

राष्ट्रीयकृत वनोपज अंतर्विभागीय समिति, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक/समिति/347/3149

भोपाल, दिनांक 05-1-2008

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(उत्पादन) म० प्र० भोपाल

विषय :- उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के जरिये इमारती काष्ठ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

—0—

राष्ट्रीयकृत वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 346 वीं बैठक दिनांक 6-11-07 को उक्त विषय अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष रखा गया था। समिति ने उक्त विषय पर अतिरिक्त जानकारी चाही थी। अतः संबंधित जानकारी के साथ पुनः 347 वीं बैठक में उक्त विषय पर चर्चा की गई। समिति द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही अनुमोदित की:-

ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों (लघु उपभोक्ताओं को मकान बनाने के लिये, बढ़ई एवं अन्य कारीगर) के लिये इमारती काष्ठ की उपलब्धता ऐसे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहाँ वनों में पर्याप्त इमारती लकड़ी का उत्पादन हो रहा है, कम से कम एक डिपो स्थापित कर वहाँ से निर्धारित मूल्य पर की जाए।

उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के जरिये इमारती काष्ठ उपलब्ध कराने के लिये उपभोक्ताओं की पहचान, उपलब्ध कराई जाने वाली इमारती काष्ठ की मात्रा संबंधी प्रक्रिया :-

1. हितग्राही

उक्त व्यवरथा के अन्तर्गत ग्रामीण शिल्पकार, बढ़ई, कारीगर एवं अन्य ग्रामीणों को स्वयं के मकान/फर्नीचर निर्माण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये खुदरा बिक्री के जरिये इमारती काष्ठ उपलब्ध कराई जावेगी।

2. प्रदाय की दर

यह काष्ठ उक्त सभी हितग्राहियों को विगत 6 माह में डिपो में विक्रय की गई काष्ठ के अवरोध मूल्य से अधिक प्राप्त विक्रय प्रतिशत को वर्तमान अवरोध मूल्य में जोड़कर प्रदाय की जायेगी। दरों का निर्धारण संबंधित वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा। किसी भी स्थिति में प्रदाय की जाने वाली काष्ठ की दरें अवरोध मूल्य से कम नहीं होगी।

3. प्रदाय की जाने वाली काष्ठ की मात्रा

शिल्पकार, बढ़ई, कारीगर, फर्नीचर निर्माण के लिये हितग्राहियों को वर्ष में प्रति परिवार अधिकतम 2 घ.मी. तक इमारती काष्ठ जिसमें सागौन 1 घ.मी. से अधिक नहीं होगा उपलब्ध कराने की अधिकतम सीमा रहेगी। ग्रामीणों को स्वयं के मकान निर्माण हेतु हितग्राही को जीवनकाल में एक बार कुल 4 घ.मी. इमारती काष्ठ जिसमें सागौन 2 घ.मी. से अधिक नहीं होगा, उपलब्ध कराने की अधिकतम सीमा रहेगी।

4. उपभोक्ताओं की पहचान

उपभोक्ताओं की पहचान सरपंच के प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, उपभोक्ता की निजी भूमि की बही अथवा अन्य कोई विश्वसनीय दस्तावेज जिससे उपभोक्ता की सही पहचान हो सके, के आधार पर की जायेगी।

5. उपभोक्ताओं को काष्ठ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया

उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के लिये डिपो में रखी गई इमारती काष्ठ उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार चयनित करने के उपरान्त चयनित काष्ठ के लॉट नम्बर की जानकारी डिपो आफीसर/परिक्षेत्र अधिकारी को दिनांक व समय अंकित कर उपलब्ध करायेंगे जिसके आधार पर उन्हें उपभेक्ता नम्बर आवंटित किया जायेगा तदोपरान्त वास्तविक उपभोक्ता होने के प्रमाण की जाँच की जायेगी और पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर निर्धारित सीमा के अन्दर उपभोक्ता को लॉट (काष्ठ) निर्धारित कीमत पर प्रदाय किया जायेगा।

6. परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने की प्रक्रिया

उक्त काष्ठ का परिवहन अनुज्ञा पत्र उपभोक्ता को उसके निवास स्थान अथवा उससे नजदीकी आरा मशीन तक के गन्तव्य के लिये ही प्रदाय करेगा, जिससे क्रय की गई लकड़ी उपभोक्ता के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपयोग में न ले सके। समय समय पर उपभोक्ताओं को प्रदाय की गई काष्ठ के सही उपयोग की समीक्षा रथानीय परिक्षेत्र अधिकारी (सामान्य) तथा उप वन मंडलाधिकारी (सामान्य) द्वारा की जायेगी।

7. वर्ष 2007–08 में उक्त व्यवस्था के लागू किये जाने के स्थानों की सूची एवं बजट प्रावधान

वर्तमान में 48 इमारती काष्ठ के डिपो हैं जिनमें अलग सेक्टर बनाकर उक्त व्यवस्था प्रारम्भ की जायेगी (यह 48 डिपो किस जिले तथा किस विधानसभा क्षेत्र में स्थित है, की सूची परिशिष्ट-1 में संलग्न है)। भविष्य में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक डिपो (विद्यमान अथवा नया स्थापित करके) में यह व्यवस्था लागू की जायेगी। इस वर्ष 48 डिपो में उक्त व्यवस्था लागू की जायेगी एवं आगामी 4 वर्षों में उक्त व्यवस्था प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक डिपो खोलकर पूर्ण कर ली जायेगी। इसके लिये प्रत्येक डिपो की स्थापना में लगभग 5 लाख का व्यय आयेगा जो मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बजट) द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को उपलब्ध कराया जायेगा।

समिति द्वारा विधिवत् आदेश जारी होने की प्रत्याशा में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया।

सही— डॉ.आर.के.गुप्ता

सचिव

राष्ट्रीयकृत वनोपज अंतर्विभागीय समिति

सतपुड़ा भवन भोपाल

उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के जरिये ईमारती काष्ठ उपलब्ध कराये जाने वाले काष्ठागारों की सूची

अ.क्रमांक	काष्ठागार का नाम	जिला	विधान-सभा क्षेत्र
1	2	3	4
1	ब्यौहारी	शहडोल	79—ब्यौहारी
2	नरसंरहा	शहडोल	85—सोहागपुर
3	उमरिया	उमरिया	80—उमरिया
4	खण्डवा	खण्डवा	194—खण्डवा
5	आशापुर	खण्डवा	191—हरसूद
6	नर्मदा नगर	खण्डवा	192—निमाडखेड़ी
7	सनावद	खरगौन	199—बडवाह
8	नेपा नगर	बुरहानपुर	195—नेपानगर
9	रालामंडल	इन्दौर	184—इन्दौर वि.स.क्र.—5
10	बैहर	बालाघाट	87—बैहर
11	गर्ता	बालाघाट	93—बालाघाट
12	छतरपुर	छतरपुर	49—छतरपुर
13	पन्ना	पन्ना	56—पन्ना
14	सिरौजा	सागर	40—नरयावली
15	तेन्दूखेड़ा	दमोह	52—नोहटा
16	ताकू	होशंगाबाद	134—इटारसी
17	सोहागपुर	होशंगाबाद	133—होशंगाबाद
18	टिमरनी	हरदा	136—टिमरनी
19	खिरकिया	हरदा	137—हरदा
20	सिवनी	सिवनी	213—सिवनी
21	धूमा	सिवनी	119—लखनादौन
22	मुंगवानी	नरसिंहपुर	118—गोटेगांव
23	आमला	छिन्दवाडा	130—सौंसर
24	हरई	छिन्दवाडा	128—अमरवाडा
25	चन्द्रकेशर	देवास	189—बागली
26	कालपी	मंडला	101—निवास
27	सिझौरा	मंडला	97—बिछियौ
28	गोसलपुर	जबलपुर	110—सीहोरा
29	गाडासरई	डिण्डोरी	98—बजाग
30	बैतूल	बैतूल	141—बैतूल
31	भौरा	बैतूल	142—घोडाडोगरी
32	सीहोर	सीहोर	147—इछावर
33	बुधनी	सीहोर	144—बुधनी
34	गैरतपुर	रायसेन	152—सांची
35	गंजबसौदा	विदिशा	157—गंजबसौदा
36	कालापाठा (विदिशा)	विदिशा	158—विदिशा